कार्यालय, जनपद न्यायाधीश (केन्द्रीय नजारत), गाजीपुर।

सार्वजनिक नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि न्यायपालिका, गाजीपुर के पूर्वी, पश्चिमी एवं मध्य प्रांगण व वाह्य न्यायालय, मुहम्मदाबाद व सैदपुर में स्थित दुकानों, जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है की नीलामी आगामी वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए नियमानुसार दिनांक 25.03.2021 को सायं 04.00 बजे मुख्यालय स्थित दस कक्षीय न्यायालय भवन के मुख्य समागार में की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होकर नीलामी बोली में भाग ले सकते है। नीलामी की शर्ते निम्नवत हैं :–

1– सबसे अधिक बोली बोलने वाले व्यक्ति की बोली स्वीकार की जायेगी, लेकिन साथ ही जनपद न्यायाधीश महोदय को किसी भी उच्चतम बोली को बिना कारण बताये सरसरी तौर पर निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

2– बोली बोलने वाले व्यक्ति को बोली बोलने से पूर्व प्रत्येक दुकान हेतु रू0 5,000/–की नकद धनराशि बतौर जमानत पृथक–पृथक जमा करनी होगी।

3– सबसे अधिक बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा ठेका पर ली गयी दुकान की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

4– प्रत्येक दुकानदार को मूल्य सूची दुकान पर लगानी होगी। दुकान तथा उसके आस–पास के स्थान को स्वच्छ रखना होगा। दुकान पर बिकने वाली समस्त खाद्य सामग्रियॉ ताजी एवं स्वच्छ होनी चाहिए। धूल एवं मक्खियो से बचाने हेतु खाद्य सामग्रियो को ढ़क कर रखना होगा, ऐसा न करने पर ठेका किसी भी समय रद्द किया जा सकता है।

5– जनपद न्यायालय के अधिकारियो एवं कर्मचारियो को खाद्य सामिग्रयॉ उचित मूल्य पर देना होगा, जिसकी दरे प्रभारी अधिकारी ,नजारत द्वारा निर्धारित की जायेगी।

6– प्रभारी अधिकारी, नजारत किसी भी समय किसी भी दुकान की जॉच कर सकते हैं। संबंधित दुकानों की जॉच करने का अधिकार सुरक्षित हैं।

7– नीलामी की कार्यवाही होने के पश्चात प्रत्येक ठेकेदार को 25 प्रतिशत धनराशि अविलम्ब जमा कराना होगा तथा नीलामी बोली अनुमोदित होने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि एक सप्ताह में जमा कराना होगा।

8– जिस ठेकेदार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 अथवा इसके पूर्व के ठेके की शतप्रतिशत धनराशि जमा नही की गयी है, उसे वित्तीय वर्ष 2021–22 के ठेके में बोली बोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

9– समस्त दुकानदार/ठेकेदार कोविड–19 के संबंध में शासन तथा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगे।

मुख्यालय स्थित नीलामी हेतु दुकानों का विवरण

क0सं0	दुकानों का विवरण	न्यूनतम नियत सरकारी बोली
1	पूर्वी प्रांगण में स्थित पान की दुकान	21,010
2	मध्य प्रांगण में कुआ के पास स्थित चाय, नमकीन एवं मिठाई की दुकान	30,910
3	पश्चिमी प्रांगण में पान की दुकान	24,200
4	पश्चिमी प्रांगण चाय, मीठा एवं नमकीन की दुकान संख्या 01	64,056
5	पश्चिमी प्रांगण चाय, मीठा एवं नमकीन की दुकान संख्या 02	46,933

वाह्य न्यायालय, मुहम्मदाबाद स्थित नीलामी हेतु दुकानों का विवरण

क0सं0	दुकानों का विवरण	न्यूनतम नियत सरकारी बोली
1	पान की दुकान	12,870
2	चाय, मीठा व नमकीन की दुकान	21,450
3	फोटो स्टेट की दुकान	14,190

16/3/21

(गुलाब सिंह–I)
अध्यक्ष, नीलामी समिति
विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. (पी. ए. एक्ट)/
जनपद न्यायालय, गाजीपुर।

दिनांक–मार्च/16/2021

प्रभारी अधिकारी
नजारत
जनपद न्यायालय गाजीपुर

1– माननीय जनपद न्यायाधीश, गाजीपुर को अवलोकनार्थ प्रेषित।

2– प्रतिलिपि नोडल आफिसर, कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय, गाजीपुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इसे माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं जनपद न्यायालय, गाजीपुर के बेवसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करे।

3– प्रतिलिपि निम्नलिखित कार्यालयो को सूचना पट्टो पर चस्पा किये जाने हेतु।

I– नोटिस बोर्ड, जिलाधिकारी, गाजीपुर।
II– नोटिस बोर्ड, पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर।
III– नोटिस बोर्ड, अध्यक्ष, जिला पंचायत, गाजीपुर।
IV– नोटिस बोर्ड, जिला सूचना अधिकारी, गाजीपुर।
V– नोटिस बोर्ड, तहसीलदार ,सदर, गाजीपुर।
VI– नोटिस बोर्ड, विकास भवन, गाजीपुर।
VII– नोटिस बोर्ड, उपजिलाधिकारी, मु0बाद, गाजीपुर।
VIII– नोटिस बोर्ड, तहसीलदार, मु0बाद, गाजपुर।
IX– नोटिस बोर्ड, उपजिलाधिकारी, सैदपुर, गाजीपुर।
X– नोटिस बोर्ड, तहसीलदार, सैदपुर, गाजीपुर।
XI– नोटिस बोर्ड, केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, गाजीपुर।
XII– नोटिस बोर्ड, नजारत, वाह्य न्यायालय मु0बाद, गाजीपुर।
XIII– नोटिस बोर्ड, नजारत, वाह्य न्यायालय सैदपुर, गाजीपुर।
XIV– सहायक नाजिर, जनपद न्यायालय, गाजीपुर को 10 प्रतियो में सार्वजनिक स्थान पर चस्पा करने हेतु।
XV– सम्पादक, तरूण मित्र, हिन्दी दैनिक, जौनपुर।
XVI- सम्पादक, दैनिक जागरण, अमर उजाला, वाराणसी।

14/3/24

(गुलाब सिंह–।।)
अध्यक्ष, नीलामी समिति,
विशेष न्यायाधीश, एस.सी. / एस.टी. (पी. ए. एक्ट) /
जनपद न्यायालय, गाजीपुर।